



प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश

विकास नगर, कानपुर-208002

Visit us: <http://upted.gov.in/directorate>

Phone No. : 0512-2582084
Fax No. : 0512- 2580965
E-mail : director@teup@gmail.com
teupeestablishment@gmail.com

-:आदेश:-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर शासनादेश सं0-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक-29.04.2021 में निहित प्रावधानानुसार कनिष्ठ सहायक पद पर, बैण्डवेतन रु0 5200-20200 सादृश्य ग्रेडवेतन रु0 2000/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन संरचना लेबल-3) में न्यूनतम वेतन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व:सत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और परिणामस्वरूप आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। अभ्यर्थी की यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थायी है एवं नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें शासनादेश संख्या-20/1/74-3 दिनांक-11.06.1975 में निहित प्राविधानानुसार किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है:-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	स्थाई पता	संस्था जहाँ नियुक्ति की जानी है
1	2	3	4
1.	श्री रमन त्रिवेदी पुत्र श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी म0नं017 रामा अग्रहरि गली इसाईन पुरवा देवीगंज जिला-फतेहपुर उत्तर प्रदेश-212601	म0नं017 रामा अग्रहरि गली इसाईन पुरवा देवीगंज जिला-फतेहपुर उत्तर प्रदेश-212601	राजकीय पालीटेक्निक, बिन्दकी, फतेहपुर

उक्त के अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को "यह भी अवगत कराया जाता है कि उनकी यह नियुक्ति अस्थायी है और जाति प्रमाण-पत्रों के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर, की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण पत्र का दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।"

नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनकी वरिष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991" में निहित प्राविधानानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

1. सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
2. दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
3. एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
5. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण-पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्र निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कार्यालय भेजे जायें। नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथि से 02 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा। पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को



प्राविधिक शिक्षा निदेशालय

उत्तर प्रदेश

विकास नगर, कानपुर-208002

Phone No : 0512-2582084
Fax No : 0512- 2580965
E-mail : director@teup@gmail.com
teupeestablishment@gmail.com

Visit us: <http://upted.gov.in/directorate>

किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परीक्षा पर रहेंगे।

(के० राम)

निदेशक

पृ०सं०: 21245-20 / ई-स्था०अरा०नियु०/रा०पा०-2023(क०स०)/19 कानपुर : दिनांक- 29/03/2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

	1.	अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2, विधान भवन, लखनऊ।
स्पीड पोस्ट	2.	सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र सं०-825/गोपन/1/20/2020/2023 दिनांक-29.03.2023 के संदर्भ में।
	3.	संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
	4.	संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी।
	5.	प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बिन्दकी, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त अभ्यर्थी के पदभार ग्रहण करते समय उनके सभी मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच स्वयं के स्तर से किये जाने के उपरान्त उक्त प्रपत्रों की सत्यता की जाँच उससे संबंधित कार्यालय/संस्थानों से भी अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराये जाने के साथ ही अभ्यर्थियों से संबंधी पुलिस थाना से चरित्र सत्यापन संबंधित जिले के जिलाधिकारी से प्रत्येक दशा में छः मास की समयावधि में पूर्ण करा ली जाए, ताकि अभ्यर्थियों के औपबंधिक नियुक्ति के संबंध में तदनसार ही निर्णय लिया जा सके। उपरोक्त अभ्यर्थी द्वारा संस्था में निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण करने की सूचना एवं इनके उपरोक्त प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ नियुक्त अभ्यर्थियों की फोटो भी संस्था प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं प्रमाणित कर निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि नियुक्त अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक पदभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसकी सूचना निर्धारित तिथि के बाद तत्काल अद्योहस्ताक्षरी के नाम से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
स्पीड पोस्ट	6.	श्री रमन त्रिवेदी पुत्र श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी म०नं०17 रामा अग्रहरि गली इसाईन पुरवा देवीगंज जिला-फतेहपुर, उत्तर प्रदेश-212601

(एस०पी० पाल)

उप निदेशक,

कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,

उत्तर प्रदेश।